

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी सर्वश्री इलेक्ट्रॉनिक माल, ब्लाक नम्बर-34, शॉप नम्बर-3, एडीएन-4, ग्राउन्ड
फ्लोर, संजय पैलेस, आगरा ।
प्रार्थना-पत्र संख्या व 041 / 14, 06.08.2014
दिनांक
प्रार्थी की ओर से श्री के० के० जैन, विद्वान अधिवक्ता ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री इलेक्ट्रॉनिक माल, ब्लाक नम्बर-34, शॉप नम्बर-3, एडीएन-4, ग्राउन्ड फ्लोर, संजय पैलेस, आगरा द्वारा दिनांक 06.08.2014 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न वस्तुओं पर, वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर पूछी गयी है:-

1. Mother Board
2. Ram (Random Access Memory)
3. Pen Drive (USB Flash Drive)

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री के० के० जैन, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया है कि उपर्युक्त तीनों वस्तुएं वस्तुतः IT Products हैं तथा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-बी के क्रमांक-22 पर अंकित प्रविष्टि में IT Products को आच्छादित करने की मंशा के साथ इन पर 4% की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है। आगे यह भी कहा गया है कि Mother Board एवं Ram कम्प्यूटर सिस्टम के पार्ट्स हैं। अतः इनको कम्प्यूटर पार्ट्स के रूप में अनुसूची-II, पार्ट-बी के क्रमांक-22 से आच्छादित मानते हुए करदेयता निर्धारित की जानी चाहिए। प्रार्थी द्वारा सुनवाई के समय भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद का एक प्रमाण-पत्र दिनांक 17.6.2013 प्रस्तुत किया गया है जिसमें Mother Board को internal memory peripheral device तथा Pen Drive को external memory peripheral device बताया गया है।

अन्त में प्रार्थी द्वारा उक्त तीनों वस्तुओं को IT Products, Computer parts अथवा peripherals मानते हुए 4% की दर से करदेयता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, आगरा जोन आगरा द्वारा पत्र संख्या-1102, दिनांक 20.09.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि Mother Board वास्तव में Printed circuit board है जो उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-बी के क्रमांक-13 पर वर्गीकृत है। अतः Mother Board पर 4% + अतिरिक्त कर की देयता है। Ram एवं Pen Drive को कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सर्वश्री राम इन्फोटेक, शॉप नम्बर-1, प्रथम तल, आर-26, रेलवे कालोनी, सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद के धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र संख्या-027 / 13 में दिनांक 29.11.2013 को दिये गये निर्णय में Computer peripherals के अन्तर्गत नहीं माना गया है। अतः इन दोनों

सर्वश्री इलेक्ट्रॉनिक माल/ प्रा0 पत्र सं0-041 / 14 / धारा-59 / पृष्ठ-2

वस्तुओं पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + अतिरिक्त कर की देयता है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि Ram एवं Pen Drive पर करदेयता के सम्बन्ध में सर्वश्री राम इन्फोटेक, शॉप नम्बर-1, प्रथम तल, आर-26, रेलवे कालोनी, सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद के द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र संख्या-027 / 13 में दिनांक 29.11.2013 को निर्णय पारित किया जा चुका है जिसमें उक्त दोनों वस्तुओं को Computer system एवं peripherals से भिन्न माना गया है तथा अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + अतिरिक्त कर की देयता निर्धारित की गयी है। वर्तमान में प्रार्थी द्वारा Mother Board एवं Ram को Computer parts के रूप में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-बी के क्रमांक-22 पर अंकित प्रविष्टि से आच्छादित मानते हुए करदेयता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है जो कि उचित नहीं है क्योंकि Computer parts शब्द कर अनुसूचियों के किसी भी प्रविष्टि में वर्गीकृत नहीं है। चूँकि पूर्व में ही Ram एवं Pen Drive पर करदेयता के सम्बन्ध में धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय पारित हो चुका है। अतः पुनः कर की दर अभिनिर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

Mother Board वास्तव में Printed circuit board (PCB) है जो कर अनुसूची-II, पार्ट-बी के क्रमांक-13 पर वर्गीकृत है। अतः Mother Board पर उक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत 4% + अतिरिक्त कर की देयता निर्धारित की जा सकती है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, आगरा जोन आगरा द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि Ram (Random Access Memory) तथा Pen Drive (USB Flash Drive) की कर की दर के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में ही निर्णय दिनांक 29.11.2013 से निर्णय दिया जा चुका है। Mother Board स्थापित रूप से एक Printed circuit board (PCB) है। Printed circuit board उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-बी के क्रमांक-13 पर वर्गीकृत है जिसके अन्तर्गत Mother Board पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आईटी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाए।

दिनांक 15 अक्टूबर, 2014

ह0 / 15.10.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।